

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
सिंचाई प्रमण्डल, गया।

[Emai-Id. eewwdgaya.wrd@gmail.com](mailto:Emai-Id.eewwdgaya.wrd@gmail.com)

(अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०- 09/2023-24)

1. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि :- 06.01.2024
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, गया।
3. निविदा प्रपत्र बिक्री की तिथि :- दिनांक 15.01.2024 से 18.01.2024 तक।  
कार्यालय अवधि में 3:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्रपत्र प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक-19.01.2024 को 3.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 19.01.2024 को 3.30 बजे अपराह्न।  
क्रमांक 6 में अंकित कार्यालय में।
6. निविदा प्रपत्र की बिक्री का स्थान :- (i) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन  
विभाग, गया।  
(ii) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, गया।  
(iii) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गया।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :- क्रमांक 6 में अंकित स्थानों पर।
8. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :- वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय की  
सूचना अलग से दी जायेगी।
9. निविदा का वैधता अवधि :- निविदा प्राप्ति के 120 दिन बाद तक।
10. कार्य का विवरण:-

गुप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नहीं जाएगा। (रूपये में)	कार्य समाप्ति की तिथि	अभि०
1	2	3	4	5	6	7
01	सिंचाई कॉलोनी, गया अवस्थित निरीक्षण भवन के सुचारु/संचालन/संधारण/ सामान्य रख-रखाव का कार्य।	2,17,760.00	4400.00	500.00	28 फरवरी 2024	गया जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग कार्यालय से चतुर्थ श्रेणी में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।

11. निविदा प्रपत्र, परिमाण विपत्र में वर्णित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गया के पदनाम से गया शाखा में भुगतये होगा OGRAS portal Challan के माध्यम से जमा किया जा सकता है, जिसकी रसीद कार्यालय में जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य नगद राशि अथवा रसीद में व्यवहृत राशि किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।
12. निविदा नियमों शर्तों एवं विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर तथा निविदा प्रपत्र की बिक्री के स्थानों पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता,  
सिंचाई प्रमण्डल, गया।

2/2

## नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता को बिना कारण बताये निविदा स्थगित/विस्तारित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
2. निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदक को गया जिला अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के कार्यालय से चतुर्थ श्रेणी में निबंधित होना आवश्यक होगा।
3. पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या- 13589 (5) पटना दिनांक 13.12.2011 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0 2500000/- (पच्चीस लाख) तक के कार्य के निविदा के लिए निविदादाता का समुचित श्रेणी में (श्रेणी-IV) स्थानीय (जिला) स्तर से निबंधित होना अनिवार्य होगा। कार्य स्थल जिस जिला में होगा, उसी जिला के निबंधित संवेदक को प्राथमिकता दिया जायेगा।
4. अग्रधन की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा की रसीद अथवा 01/02/03 वर्षीय बचत पत्र अथवा निर्गत/डाकघर अवधि जमा 01 वर्षीय/02 वर्षीय/03 वर्षीय पास बुक/एन०एस०सी०/राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा रसीद बिहार वित्त नियमावली के अनुसार जो बिहार राज्य के डाकघर से क्रय एवं जमा किया हो, जो कार्यपालक अभियंता, **सिंचाई प्रमण्डल, गया के पदनाम** से विधिवत प्रतिज्ञित हो, निविदा के साथ देना आवश्यक होगा। प्रतिज्ञित की तिथि, निविदा आमंत्रण की तिथि के बाद की होनी चाहिए। किसी अन्य रूप में अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगा।
5. कार्य की प्राक्कलित मात्रा में बढ़ोतरी या घटोत्तरी हो सकती है। परिमाण विपत्र का मूल्य निर्गत परिमाण विपत्र के अनुकूल संशोधित समझा जाएगा, तदनुसार अग्रधन की राशि जमा करना होगा।
6. परिमाण विपत्र की बिक्री निबंधित संवेदक अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति को परिमाण विपत्र का मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक से **कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, गया के पदनाम** से निर्गत तथा गया में भुगतये हो को जमा करने पर दिया जायेगा। निविदा प्रपत्र खरीदते समय परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
7. निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर संवेदक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तथा दोनो बंद लिफाफे (गोंद या सेलोटैप या लाह चपड़ा से बंद किया हुआ) पर गुप संख्या एवं अपना पता मोबाईल संख्या अंकित करना होगा।
8. निविदा कागजात निम्नरूपेण लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त की जायेगी :-
  - (क) प्रथम तकनीकी बीड लिफाफा (सील बन्द) जिसमें निम्नलिखित कागजात होंगे-
    - (a) कार्य से संबंधित अग्रधन की राशि अनिवार्य होगा।
    - (b) संवेदक के निबंधन की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित), अनिवार्य होगा।
    - (c) पैन कार्ड की छाया प्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
    - (d) GST निबंधन प्रमाण पत्र (स्वहस्ताक्षरित)।
    - (e) विभागीय पत्रांक-01/PMC/विविध/879/2012- पार्ट 11-124 पटना दिनांक- 04.02.2021 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - (f) निम्न आशय का मूल शपथ-पत्र (affidavit) निविदा के साथ समर्पित किया गया हो :-
    - I. यह कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
    - II. यह कि मुझे किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar, Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
    - III. यह कि मेरा कोई निकटतम संबंधी (संबंधी से अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
    - IV. "I, The undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/forged, The under signed will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing"

यह शपथ पत्र नोटरी द्वारा निर्गत होगा, जो अद्यतन होगा एवं तकनीकी बीड के साथ जमा करना होगा।

**(ख) दूसरा वित्तीय बीड लिफाफा**

इस ग्रुप से संबंधित Bill of Quantity (BOQ) (जिसमें दर अंकित करना है) रहेगा और जिसके प्रत्येक पन्ने पर निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता का हस्ताक्षर होगा।

**(ग) तीसरा लिफाफा**

तकनीकी बीड लिफाफा एवं वित्तीय बीड लिफाफा को तीसरा लिफाफा में सील बन्द कर टेंडर में जमा किया जायगा।

9. निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक- 4439 (E) दिनांक- 17.07.2023 एवं जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक- 536 दिनांक- 18.07.2023 के आलोक में CWJC No- 9941/2022 में दिनांक- 06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा। निविदत्त दर Serious unbalanced rate होने की स्थिति में Additional performance guarantee पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 447 (S), 448 (S), 449 (S) दिनांक- 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
10. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 387 दिनांक 27.09.2019 के निदेशानुसार फार्म 'M' एवं 'N' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) के रूप स्वामित्व की कटौती की जायेगी।
11. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा प्रतिशत में दर अंकित किया जायेगा, जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा।
12. निविदा डालने के पूर्व संवेदक कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लेंगे। बाद में कार्य से संबंधित किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
13. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है तथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगी।
14. निविदा, निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।
15. जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक- 01/PMC/vivid/161/2023-205 dt 20.03.2023 के निदेशानुसार जिन्हें कार्य आवंटित होगा उन्हें CBuD App (Call Before U dig App) के माध्यम से कार्य संबंधित सूचना देना होगा।
16. निविदादाता के द्वारा जो दर अंकित किया जाएगा वह सुस्पष्ट तथा अंक एवं शब्द दोनो में अंकित होगा।
17. कार्य का एकरारनामा PWD Form F2 पर (कंडिका 23 छोड़कर) किया जाएगा।
18. निविदादाता के विपत्र से 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) लेबर सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु, GST, आयकर तथा रॉयल्टी की कटौती अद्यतन निर्गत पत्रों के आलोक में नियमानुसार की जायेगी।
19. जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचना/आदेश निविदा के शर्तों के लिए मान्य होगा।
20. तकनीकी बीड में एक से अधिक सफल निविदादाताओं का समान निविदत्त दर रहने की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियमों के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
21. संवेदक को प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्टी के अनुरूप कार्य करना होगा।
22. कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रियों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक का होगा।
23. किसी प्रकार का न्यायालयीय मामला होने पर व्यवहार न्यायालय, गया के न्याय क्षेत्र की अधीन होगा।
24. अस्पष्ट एवं सर्शत्त निविदा मान्य नहीं होगी।
25. वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक- 2870 दिनांक- 10.08.2023 प्रभावी होगा।

26. विपत्र भुगतान पूर्व GSTR3B की प्रति देना अनिवार्य होगा।
27. निविदा नियमों शर्तों एवं विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर तथा निविदा प्रपत्र की बिक्री के स्थानों पर सम्पर्क किया जा सकता है।
28. विस्तृत जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में अथवा मोबाईल संख्या- 7463889879 / 7782005204 पर संपर्क किया जा सकता है।

हो/-  
कार्यपालक अभियंता,  
सिंचाई प्रमण्डल, गया।

पत्रांक :-

55

गया/दिनांक-

6-1-2024

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को निविदा आमंत्रण सूचना की हिन्दी में एक प्रति (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रतियों में) के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

V. Kumar  
06/01/2024  
कार्यपालक अभियंता,  
सिंचाई प्रमण्डल, गया  
06.01.2024